न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 68 / 2020 निर्णय दिनांक :– 23.10.2020

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. लालाराम पुत्र सुखा जाति गुर्जर आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. घीसालाल पुत्र हीरा जाति गुर्जर आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. नाथी पुत्री हीरा जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. हगामी पत्नी हीरा जाति गुर्जर आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रार्थीगण–

बनाम

1. धर्मचन्द पुत्र जस्सा पुत्र स्व. रूगनाथ जाति गुर्जर आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. रामधन पुत्र दत्तक पुत्र स्व. मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. भेरू पुत्र स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. श्योजी पुत्र स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. गोपाल पुत्र स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. सीता पुत्री स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. सन्तरा पुत्री स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. काली पत्नी स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री बन्शी लाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण
संख्या 1 ता 8

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.ए.</u>

प्रार्थीगण खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल ख0नं0 818 रकबा 0.44 है0 व खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.66

है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नमबर 96 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम डाबरकला के पास प्रतिपक्षीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त के खेत भी हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है0 वाके ग्राम डाबरकला में आने–जाने का रास्ता सार्वजतिक आम रास्ते से होकर खसरा नम्बर 91 की पूर्व दिशा में कदीमी बने हुये रास्ते से होकर प्रतिपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि व प्रतिपक्षी संख्या 2 ता 8 के कब्जेकाश्त व उनके स्व. पिता की खातेदारी खसरा नम्बर 97 रकबा 0.95 है0 में स्थित दक्षिणी पूर्वी मेंड़ के पास से होकर व खसरा नम्बर 92 की पश्चिम दिशा की मेड़ के पास से होकर लगभग 10 फीट चौड़ा व लम्बाई 15 फीट बने हुये रास्ते से होकर ही उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त के खेत खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है0 भूमि में आते–जाते है तथा इसी रास्ते से मुख्य मार्ग पर आते जाते है इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी भूमि पर आने जाने के लिये नही है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 1.22 है0 भूमि में आने जाने के लिये प्रतिपक्षीगण नम्बर 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 97 व 92 की मेड़ के पास से होकर व प्रतिपक्षीगण नम्बर 2 ता 8 की कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नम्बर 97 व 92 में से होकर आते जाते है तथा कृषि में काम आने वाले कृषि यन्त्र ट्रेक्टर, ट्रोली, कृषि उपज इत्यादि ले जाकर उपयोग उपभोग कर रहे है। नक्शा ट्रेस में रास्ते का अंकन नहीं होने के कारण प्रतिपक्षीगण 10 फीट चौड़ा व 15 फीट लम्बे रास्ते को अवरूद्ध कर देते है जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खसरा नम्बर 97 रकबा 0.95 है0 व खसरा नम्बर 92 रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम डाबरकला में स्थित है, में से 10 फीट चौड़ा X 15 फीट लम्बा रास्ता प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि आराजी ख. नं. 96 रकबा 1.22 है0 में आने जाने का रास्ता चाहते है।

प्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन नियत तारीख पेशीयों में उपस्थित नहीं होने के कारण संख्या 1 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार देवली ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को स्वयं की आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण के रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर तथा खसरा नं0 118 रकबा 0.63 है0 गै0

मु. रास्ता से प्रार्थी का खातेदारी खेत ख. नं. 96 तक की लम्बाई 36 मीटर है जिसका जिसका क्षैत्रफल 108 x 34.7553 = 3753.57 बनते है। दुगनी प्रतिकर राशि 7505. 14 रूपये बनती है। प्रार्थी की आराजी ख. नं. 96 स्वयं की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख. नं. 92 रकबा 0.67 है0 व 97 रकबा 0.95 है0 से रास्ता चाहता है परन्तु रास्ता ख. नं. 92 रकबा 0.64 है0 में ही जाता है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना जैसे पेड, दीवार, संरचना नही है। अप्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ता ख. नं. 92 रकबा 0.64 है0 में से देने के लिए सहमत नहीं है व हस्ताक्षर करने से भी मना किया है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से सम्बन्धित नहीं है। अतः प्रस्तावित रास्ता ख. नं. 92 रकबा 0.64 है0 में से होकर जाता हैं जिसे लाला स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। देने के लिए सहमत नहीं है। जमाबंदी, डीएलसी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अनुसार व तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की तरमीम हेतु प्रार्थना की और कथन किया कि इसके लिए प्रार्थीगण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अथवा हाल डी.एल.सी की दुगनी राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण को आवश्यकता आत्यन्तिक है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जायेगी जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार को काफी नुकसान होगा। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ते की तरमीम हेतु आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस व तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 431 ख0नं0 96 रकबा 1.22 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें जाने के लिए प्रार्थीगण के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 नियत तारीख पेशीयों में असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार देवली

को आदेश दिया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 118 रकबा 0.63 है0 गै.मु. रास्ता से खसरा नम्बर 92 में चौड़ाई 3 मीटर एवं लम्बाई 36 मीटर अर्थात 108 वर्गमीटर, जिसकी डीएलसी दर 347553/— प्रति हैक्टेयर है, जिसके अनुसार 108 वर्गमीटर की डीएलसी की दुगनी प्रतिकर राशि 7507.14/— अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर उक्तानुसार रास्ते की तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान करे एवं की गई तरमीम सहित रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली